"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 मई 2012—वैशाख 27, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि (उद्यानिकी) विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से 2 वर्षों की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची के कॉलम (3) में, जहां कहीं शब्द "चतुर्थ श्रेणी" आया हो, के पश्चात् शब्द "जिला स्तरीय" जोड़ा जाये.

2. अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित टीप जोड़ी जाये, अर्थात् :—

"टीप— दिनांक 17-01-2012 से प्रभावशील 2 वर्ष की कालावधि के लिये भृत्य/चौकीदार पद के लिये नियुक्ति प्राधिकारी संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी होंगे."

Raipur, the 17th May 2012

NOTIFICATION

No. F 3-4/2012/14-1.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh (Horticulture) Department (Class-IV) Service Recruitment Rules, 1987. This Notification shall come into force from the date of 17th January, 2012 for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In column (3) of Schedule, after the word "Class-IV" the wherever it occurs the word "District Level" shall be added.

2. After Schedule, the following Note shall be added, namely :—

"**Note :**— The Director, Horticulture and Farm Forestry shall be Appointing Authority for the post of Peon/ Watchman for a period of two years w.e.f. 17-01-2012."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.